न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, **IAS**
प्रकरण संख्या –05/2022 (प्रार्थना पत्र 6ए)
जीसीएमएस नं0 2022/497

सरकार जरिये बीज निरीक्षक एवं जिला विस्तार अधिकारी सी.ए.डी. कोटा
–प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि0 कारखाना बाग पुलिस लाईन कोटा ।
–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बीज अधिनियम 1966 धारा 6 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 13 वं आवश्यक वस्तु अधिनिमय 1955 की धारा 6ए

उपस्थित :–

1. विभागीय प्रतिनिधि पेरोकार सरकार
2. अप्रार्थी प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक–10.03.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि बीज निरीक्षक एवं जिला विस्तार अधिकारी सी.ए. डी कोटा द्वारा अन्तर्गत बीज अधिनियम 1966 धारा 6 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 13 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है दिनांक 20.06.2014, 25.06.2014, 15.07.2014 को बीज निरीक्षक की हैसियत से श्री भगवान सिंह तत्कालीन जिला विस्तार अधिकारी कोटा ने बीज की गुणवत्ता जांचने हेतु बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 13 के तहत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि0 कारखाना बाग पुलिस लाईन कोटा में भण्डारित सोयाबीन बीज किस्म जे.एस. 95–60 के नमूने लिए गए जो विश्लेषण हेतु राज्य की अधिसूचित प्रयोगशाला में भिजवाये गये । प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट पर पच्चीस नमूने अमानक आये, अमानक नमूनो के आधार पर कार्यालय पत्रांक/295–98 दिनांक 18.7.2014 पत्रांक/332–35 दिनांक 24.7.2014 एवं पत्रांक 458–61 दिनांक 20.8.2014 के द्वारा बीज निगम को नोटिस जारी कर अमानक बीज का विकय /स्थानान्तररण नहीं करने के आदेश दिये । दिनांक 10.9.2014 को राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि0 कारखाना बाग पुलिस लाईन कोटा के गोदाम का निरीक्षण कर भण्डारित अमानक बीज सोयाबीन किस्म जे.एस. 1960 के कुल 1628 बैग बीज नियंत्रण 1983 की धारा 13(1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज अधिनियम 1966 की धारा 6ए का उल्लंघन पाये जाने पर जब्त किये गये । बीज आवश्यक वस्तु है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की श्रेणी में आता है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त माल को राजसात कराने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.08.2015 को जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रार्थीगण काफी लम्बे समय तक बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से पत्रावली दिनांक 21.01.2020 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गई । तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 6.7.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पुनः विचार कर जब्त सोयाबीन बीज को राजसात करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया जाने पर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया । उभयपक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. प्रार्थी प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए बीज निरीक्षक द्वारा जब्तशुदा माल दिनांक 10.9.2014 को राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि0 कारखाना बाग पुलिस लाईन कोटा के गोदाम का निरीक्षण कर भण्डारित अमानक बीज सोयाबीन किस्म जे.एस. 1960 के कुल 1628 बैग बीज नियंत्रण 1983 की धारा 13(1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज अधिनियम 1966 की धारा 6ए का उल्लंघन पाये जाने पर जब्त किये गये । जब्तशुदा सोयाबीन बीज किस्म जे.एस. 95–60 के नमूने लिए गए जो विश्लेषण हेतु राज्य की अधिसूचित प्रयोगशाला से अंमानक पाये गये है । बीज आवश्यक वस्तु है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की श्रेणी में आता है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त माल को राजसात कराने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया ।

4. अप्रार्थी क्षैत्रीय प्रबन्धक राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व में कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 11.08.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खरीफ 2014 में बीज गांव योजनान्तर्गत किसानों को अनुदानित दर पर सोयाबीन किस्म जेएस 9560 का2000 क्विं. बीज वितरित किये जाने के मुख्यालय से लक्ष्य प्राप्त हुये थे । इसके उपरान्त रबी सीड्स एण्ड रिसर्च प्रा0लि0 अलोट द्वारा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित तृतीय मंजिल पश्चिम भाग, नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह मार्ग जयपुर (मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणिीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित) से 1999.80 क्विं. सोयाबीन जेएस 9560 का बीज प्राप्त हुआ । मुख्यालय आदेशों की अनुपालना में उर्वरक /कीटनाशक /बीज निरीक्षक एवं जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी कोटा से प्रत्येक लॉट के नमूने आहरित करवाये गये । आहरित किये गये नमूनो में से अमानक पाये गये लॉट्स की आपूर्ति बीज निरीक्षक के निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से रोक दी गयी । बीज निरीक्षक ने सोयाबीन जेएस'9560 के 1628 बैग्स गोदाम नं0 12 में सीज कर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये थे । उपरोक्त सीज किये गये 1628 बैग्स सुपुर्द गी गयी स्थिति में आज भी सुरक्षित रखे हुये है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त अमानक बीज 1628 बैग्स की नीलामी करवायी जाकर निगम खाते में जमा करवाने की स्वीकृति प्रदान करावें ।

5- हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया है । बीज निरीक्षक एवं जिला विस्तार अधिकारी सी ए डी कोटा द्वारा राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि0 कारखाना बाग पुलिस लाईन कोटा के विरूद्व यह इस्तगासा अन्तर्गत बीज अधिनियम 1966 धारा 6 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 13 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत जब्त माल को राजसात कराने का आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया । अप्रार्थी की ओर से क्षैत्रीय प्रबन्धक स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन द्वारा दिनांक 11.08.2015 को जवाब प्रस्तुत कर अमानक बीज सोयाबीन किस्म जेएस–9560 के 1628 बैक की नीलामी करवायी जाकर निगम में जमा करावाने की स्वकृति हेतु निवेदन किया है । चूंकि अप्रार्थी स्वयं जब्तशुदा माल सोयाबी बीज को अमानक मानते है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

6- परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा माल अमानक बीज सोयाबीन किस्म जेएस–9560 के 1628 बैग को राजसात (Confiscat) किया जाता है । जिला विस्तारर अधिकारी सी.ए.डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तशुदा माल का विधिअनुरूप निस्तारण किया जावें ।

7- निर्णय आज दिनांक 10.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा